Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में पंचायत समिति सुल्तानपुर का उप–प्रधान 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *31 मार्च, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नरेश नरूका उप–प्रधान पंचायत समिति सुल्तानपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे पास भारत माला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में मिट्टी डालने का सबकान्ट्रेक्ट है। सुल्तानपुर पंचायत समिति के उप–प्रधान नरेश नरूका द्वारा मेरे मिट्टी खुदाई के कार्य को रूकवाकर अपने पद व प्रभाव की धोंस बताकर मिट्टी खुदाई करने की एवज में 5 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के निर्देशन में कोटा देहात इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए नरेश नरूका पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला थाना सुल्तानपुर जिला कोटा, हाल उप–प्रधान पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।